अधिभाषकगण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी
अन्य कार्य/चुनाव कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली
दिनांक 17.6.19 को पेश हो।

17-6-19

पत्रावली पेश हुई
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी, उभयपक्ष
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते सबूत वादी
आगामी पेशी दिनांक 28.6.19
पेश हो

28-6-19

वादी अधि. उप. एवं प्रतिवादी अधि. उप.। सबूत पेश नहीं करना चाहते हैं सबूत बन्द कर बहस अंतिम सुनी गई पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 8.8.19 को पेश हो।

8-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित मौखिक बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बाद वादी पोषणीय नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अन्तिम डिक्री जारी कर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय उप...
पीठासीन अधिकारी ...
राजस्व वाद संख्या ...
1 माया पत्नि ...
हनुमानगढ़।
2 पुष्पा पत्नि ...
हनुमानगढ़।

1 सुरेन्द्र कुमार ...
हनुमानगढ़।
2 सन्तराम पु...
हनुमानगढ़।
3 लिछमा देवी ...
जिला हनुम...
दा...

1. श्री वरिन्द्र ...
2. श्री भीम खि...

वादीगण ने ...
इस न्यायालय में ...
नंबर 20 एच.एम.ए ...
120/287 (55) ...
पत्थर नम्बर 119, ...
नम्बर 1 से 3, 8 ...
रिकार्ड में मुश्तरक ...
भूमि दर्ज है। प्रमा...
तहसील ...
जमाबन्दी सम्वत् ...
23/.126, पत्थर ...
23/1/.155 कुल ...
रिकार्ड है जिसमें ...
1.665 हैक्टर भूमि ...
तहसील ...
जमाबन्दी सम्वत् ...
12/2/.127, 13 ...
संख्या 3 के नाम ...
वाद-पत्र ...
प्रतिवादी संख्या ...
पाई प्रतिवादीगण ...
पैतृक सम्पति है ...

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 444/2018

1 माया पत्नि सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी रामरासानारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 पुष्पा पत्नि सन्तराम जाति जाट निवासी रामरासानारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री लालचन्द जाति जाट निवासी रामरासानारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 सन्तराम पुत्र श्री लालचन्द जाति जाट निवासी रामसरानारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 लिछमा देवी पनि स्व. लालचन्द जाति जाट निवासी रामसरानारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री वरिन्द्र कुमार गुप्ता अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री भीम खिलेरी अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 02.08.2019

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि तहसील हनुमानगढ़ के चक नंम्बर 20 एच.एम.एच. के खाता संख्या 223/190 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के पत्थर नम्बर 120/287 (55) किला नम्बर 19 ता 23, पत्थर नम्बर 119/287 (56) किला नम्बर 25, पत्थर नम्बर 119/88 (67) किला नम्बर 5, 6, 15 व पत्थर नम्बर 120/288 (68) किला नम्बर 1 से 3, 8 से 13, 18 से 25 कुल 6.578 हैक्टर भूमि मय गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाता में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम 1.644 हैक्टर भूमि दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी सलंग्न वाद–पत्र है।

तहसील हनुमानगढ के चक नम्बर 21 एस.एस.डब्लयु. के खाता संख्या 26/24 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के पत्थर नम्बर 120/305 (1) किला नम्बर 22/.051, 23/.126, पत्थर नम्बर 120/306 (5) किला नम्बर 1/.215, 2, 3, 8 से 13, 18 से 22, 23/1/.155 कुल 3.836 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 2.171 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1.665 हैक्टर भूमि दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी सलग्न वाद–पत्र है।

तहसील हनुमानगढ़ के चक नम्बर 20 एस.एस.डब्लयु. के खाता संख्या 95/90 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के पत्थर नम्बर 120/302 (41) किला नम्बर 11/3/.127, 12/2/.127, 13/3/.126, 14/3/.127, 16 से 25 कुल 3.163 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी सलंग्न वाद–पत्र है।

वाद–पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 के पति श्री लालचन्द पुत्र श्री गोविन्दराम की भूमि है जो उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है जिससे वाद–पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति है व इस पैतृक सम्पति की आय से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता

लगातार 2

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

श्री लालचन्द ने अपने जीवन काल में वाद–पत्र की चरण संख्या 4 में दर्ज भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम खरीद की, चूंकि वाद–पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति की आय से खरीद की गई है इस प्रकार वाद–पत्र की चरण संख्या 2 से 4 में वर्णित कुल भूमि पैतृक सम्पति है।

श्री लालचन्द पुत्र श्री गोविन्द राम जाति जाट निवासी रामसरानारायण का निधन वर्ष 1994 में हो चुका है व श्री लालचन्द की मृत्यु के समय ही वाद–पत्र की चरण संख्या 2 से 4 में वर्णित आराजी में चक 20 एच.एम.एच. (वाद–पत्र की चरण संख्या 2 में दर्ज) की प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज 1.644 हैक्टर वादीगण को बहिस्सा बराबर दी हुई है व चक 21 एस.एस.डब्लयु. (वाद–पत्र की चरण संख्या 3 में दर्ज) की प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज 3.836 हैक्टर में वादीगण को 1.776 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 2.060 हैक्टर बहिस्सा बराबर दी हुई है व चक 20 एस.एस.डब्लयु. (वाद–पत्र की चरण संख्या 4 में दर्ज) की प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज 3.163 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1.392 हैक्टयर बहिस्सा बराबर व शेष 1.771 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 3 को दी हुई है व इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है।

वाद–पत्र की चरण संख्या 2 से 4 में वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड में अकेले प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने से वादीगण के हक हकूक पर विपरीत असर पड़ता है। उक्तानुसार वादीगण इस आशय की घोषणा पाने की अधिकारणी है कि चक 20 एच.एम.एच. खाता संख्या 223/190 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज 1.644 हैक्टर भूमि वादीगण को बहिस्सा बराबर के इसी प्रकार चक 21 एस.एस.डब्लयु. खाता संख्या 26/24 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज 3.836 हैक्टर में वादीगण को 1.776 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 2.060 हैक्टर बहिस्सा बराबर के तथा चक 20 एस.एस.डब्लयु. खाता संख्या 95/96 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज 3.163 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1.392 हैक्टर बहिस्सा बराबर व शेष 1.771 हैक्टर भूमि के हकदार काश्तकार है। व इसी कदर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवाने के अधिकारी है।

वादीगण ने गत सप्ताह प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि में उक्तानुसार वादीगण का हक हिस्सा होना स्वीकार कर असी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवानें की सहमति दे देवे तो वे इन्कार हो गये। यही बिनाय दावा है।

वाद–पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो कि उचित न्यायालय पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वाद–पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर विरुद्ध प्रतिवादी निम्न तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमाई जावे कि चक 20 एच.एम.एच. खाता संख्या 223/190 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज 1.644 हैक्टर भूमि वादीगण को बहिस्सा बराबर के इसी प्रकार चक 21 एस.एस.डब्लयु. खाता संख्या 26/24 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज 3.836 हैक्टर में वादीगण को 1.776 हैक्टर बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 2.060 हैक्टर बहिस्सा बराबर के तथा चक 20 एस.एस.डब्लयु. खाता संख्या 95/96 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज 3.163 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1.392 हैक्टर बहिस्सा बराबर व शेष 1.771 हैक्टर भूमि के हकदार खातेदार काश्तकार है तथा इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

(ख) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे, दिलाया जावे।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

लगातार 3

Scanned by CamScanner

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 18.01.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या द्वारा भली समझने के बाद हस्ताक्षर किये जानें पर उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा पहचान की गई परन्तु राजीनामा तस्दीक नही किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उपरोक्त अनवानी वाद प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया हुआ है। पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है जिनका भाई बिरादरी की पंचायत ने राजीनामा करवा दिया है, जो निम्न प्रकार है :-

पक्षकारान वाद-पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित चक 20 एच.एम.एच. के खाता संख्या 223/190 की 6.578 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज 1.644 हैक्टर व वाद-पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित चक 21 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 26/24 की 3.836 हैक्टर भूमि पैतृक सम्पति होना स्वीकार करते है तथा उक्त पैतृक सम्पति की आय से वाद-पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित चक 20 एस.एस.डब्ल्यु. के खाता संख्या 95/90 की 3.163 हैक्टर भूमि खरीद करना जरिये राजीनामा स्वीकार करते है, इस प्रकार वाद-पत्र की चरण संख्या 2 से 4 में वर्णित सम्पति पैतृक सम्पति है व वाद-पत्र मे दर्जानुसार हिस्साकरसी दर्ज है। मुताबिक राजीनामा पक्षकारान चक 20 एच.एम.एच. के खाता संख्या 223/190 मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074-77 में दर्ज 6.578 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज 1.644 हैक्टर भूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर के चक 21 एस.एस. डब्लयू. के खाता संख्या 26/24 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज 3.836 हैक्टर भूमि में वादीगण 1.776 हैक्टर भूमि के बहिस्सा बराबर के तथा शेष 2.060 हैक्टर भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर के तथा चक 20 एस.एस. डब्लयु. के खाता संख्या 95/90 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज 3.163 में से 1.392 हैक्टर भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर के तथा शेष रही 1.771 की प्रतिवादीया संख्या 3 हकदार खातेदार काश्तकार होना स्वीकार करते है व इसी राजीनामा अनुसार वाद-पत्र डिकी करने में सहमति प्रदान करते हैं।

लिहाजा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा वाद-पत्र डिक्री फरमाया जावे तो हम पक्षकारान को कोई आपति नहीं है बल्कि पक्षकारान अपनी सहमति देते हैं।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा से किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर पत्रावली वास्त साक्ष्य वादी निर्धारित की गई वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28.06.2019 को साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करनें का अंकन आदेशिका पर किये जानें पर साक्ष्य बन्द किये जाकर पत्रावली वास्ते बहस निर्धारित की गई।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि पक्षकारान द्वारा राजीनामा में यह तथ्य स्वीकार किया है, कि चक 20 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 95/90 की 3.163 हैक्टर भूमि खरिद की गई है। उभयपक्ष द्वारा इस भूमि को पैतृक भूमि की आय से खरिद किये जानें सम्बंधी कोई साक्ष्य पेश नहीं किये इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा राजीनामा में चाहा गया

सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी

लगातार 4

Scanned by CamScanner

अनुतोष स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसी प्रकार वादीगण द्वारा अपने पति की पैतृक सम्पत्ति में से भूमि की मांग की गई है, पत्नी हमवारिस (Coparcener) की श्रेणी में नहीं आने के कारण अपने पति की पैतृक सम्पत्ति में से भूमि प्राप्त करनें की विधिक अधिकारिणी नही होने से वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

–:: आदेश ::–

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा में यह तथ्य स्वीकार किया है कि ग्राम 20 एम.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 95/90 की 3.163 हैक्टर भूमि खरिद की गई है। उनसाक्ष्य द्वारा इस भूमि को पैतृक भूमि की आय से खरिद किये जाने सम्बंधी कोई साक्ष्य पेश नहीं किये इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा राजीनामा में चाहा गया अनुतोष स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही होने से तथा वादीगण द्वारा अपने पति की पैतृक सम्पत्ति में से भूमि की मांग की गई है, परन्तु पत्नी हमवारिस (Coparcener) की श्रेणी में नही आने के कारण अपने पति की पैतृक सम्पत्ति में से भूमि प्राप्त करने की विधिक अधिकारिणी नही होने से वाद पत्र मुताबिक राजीनामा पोषणीय नही पाये जानें पर वाद वादी वर्तमान स्टेज पर खारिज किया जाता है।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 08.08.2019 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 444/2018

1 माया पत्नि सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी रामसरानारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 पुष्पा पत्नि सन्तराम जाति जाट निवासी रामसरानारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–– वादीगण

–:: बनाम ::–

1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री लालचन्द जाति जाट निवासी रामसरानारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 सन्तराम पुत्र श्री लालचन्द जाति जाट निवासी रामसरानारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 लिछमा देवी पनि स्व. लालचन्द जाति जाट निवासी रामसरानारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 08.08.2019

वादीगण की और से श्री वरिन्द्र कुमार गुप्ता अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की और से श्री भीम खिलेरी अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 08....08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा में यह तथ्य स्वीकार किया है, कि चक 20 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 95/90 की 3.163 हैक्टर भूमि खरिद की गई है। उभयपक्ष द्वारा इस भूमि को पैतृक भूमि की आय से खरिद किये जानें सम्बंधी कोई साक्ष्य पेश नहीं किये इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा राजीनामा में चाहा गया अनुतोष स्वीकार किया जाना न्यायोचत नहीं होनें से तथा वादीगण द्वारा अपने पति की पैतृक सम्पत्ति में से भूमि की मांग की गई है, परन्तु पत्नी हमवारिस (Coparcener) की श्रेणी में नहीं आनें के कारण अपनें पति की पैतृक सम्पत्ति में से भूमि प्राप्त करनें की विधिक अधिकारिणी नही होनें से वाद पत्र मुताबिक राजीनामा पोषणीय नहीं पाये जानें पर वाद वादी वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 08.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ..

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 11:46:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: